कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र.
पॉचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) 462004

क्रमांक/1283/आउशि/शाखा–2(5)09 भोपाल दिनांक 22.06.2009

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय :–अतिथि विद्वान अध्यापन व्यवस्था 2009–10 के लिये जारी निर्देशों के संबंध मे।
संदर्भ :–पत्र क्र. 1170/491/आउशि/शाखा–2/09 दिनांक 04.06.2009

—00—

अतिथि विद्वानों के संबंध में जारी निर्देशों के तारतम्य में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर विहित शैक्षणिक अर्हताओं के अंतर्गत स्नाताकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना चाहिए किन्तु इसमें 05 प्रतिशत की छूट अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शारारिक विकलांग अभ्यार्थियों के लिये रहेगी, साथ ही जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 के पहले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और जो पीएचडी उपाधि धारक है उन्हें 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत की अनिवार्यता विभाग के आदेशानुसार रहेगी।

2. प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत व्यक्तियों की पारस्परिक मेरिट तय करते समय पीएच.डी/एम फिल या नेट/स्लेट उत्तीर्ण करने की दशा में 14 अंक प्रदाय किये जायेंगे। तथा अंको की गणना संदर्भित पत्रानुसार यथावत रहेगी। परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देश दिनांक 14 जून 2006 के अनुसार एम. फिल. उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी केवल स्नातक स्तर तक की कक्षाओं का ही अध्यापन कार्य कर सकेंगे।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक/1284/आउशि/शाखा–2(5)09 भोपाल दिनांक 22.06.2009

प्रतिलिपि–

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.